



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1010 सन् 2026

अशोक कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मदन मोहन, परमेश्वर यादव

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के अधीन पारित दिनांक 26.11.2025 के आदेश को चुनौती दी जा रही है।
2. उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अधीन प्रदान किए गए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
3. तदनुसार, वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 10, 2026

स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"